अनूपसिंह बनाम राजस्थान सरकार
2011/86
निर्णय दिनांकः–05.03.2026

सत्यमेव जयते

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2011/86 दर्ज तिथिः– 14.10.2011

1. अनूपसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी लाखाऊ तहसील व जिला चूरू (राज.)

................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू
2. जिला कलक्टर महोदय, चूरू

................ अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री विजयसिंह शेखावत
अप्रार्थीः– पैरोकार राज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

## निर्णय

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि उपरोक्त अनुवानी दावा न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है।
2. प्रार्थी के पिता मोहनसिंह (से.नि.कर्नल) ग्राम लाखाऊ तहसील चूरू के भूतपूर्व पट्टेधारी जागीरदार थे। जागीरदार को भूतपूर्व बीकानेर स्टेट के काश्तकारी कानून के तहत सम्पूर्ण अधिकार अपनी जागीर में स्थित कृषि भूमि के संबंध में निहित थे। जागीरदार अपनी जागीर में स्थित कृषि को अपनी मर्जीके अनुसार किसी भी काश्तकार को काश्त करने हेतु दे सकता था व भूमि का लगान वसूल करता था व चाहे जब कृषि भूमि काश्तकार से छुड़ाकर अन्य काश्तकार को बता सकता था एवं अपनी जागीर में स्थित भूमि का मालिक होने के कारण कृषि भूमि को काश्तकार से वापस लेकर स्वयं खुद काश्त में कृषि [illegible] विवादित कृषि भूमि साबिका खसरा नम्बर 22 मी तादादी 38 बीघा जिसके [illegible] नं. 85 तादादी 33 बीघा 18 बिश्वा व खसरा नं. 96 तादादी 04 बीघा [illegible] मौजा लाखाऊ तहसील चूरू भी प्रार्थी के पिता की जागीर [illegible] खत प्रार्थी के पिता ने [illegible] पर करीम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:34 IST
Reason: SelfAttested

खां, रहीम खां पुत्रगण सतनखां कायमखानी निवासी लाखाऊ को काश्त पर दे रखा था। प्रार्थी के पिता स्वयं 1958 तक उक्त ग्राम के जागीरदार थे तथा वादगत कृषि भूमि को काश्त करते थे। भारत व पाकिस्तान का विभाजन सन 1947 में हुआ तब रहीमखां आदि भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गये उससे पूर्व से विवादित खेत वापस तत्कालीन जागीरदार प्रार्थी के पिता को वापस दे दिया तब से प्रार्थी के पिता विवादित कृषि भूमि को सन 1947 से बराबर काश्त करते आ रहे थे तथा अब प्रार्थी काश्त करता आ रहा है। वादगत कृषि भूमि प्रार्थी के खुद काश्त की भूमि है।

3. आर.टी.एक्ट की धारा के अनुसार कृषि भूमि जागीरदार के खुद काश्त में थी उसकी खातेदारी स्वयं जागीरदार प्रार्थी के पिता मोहनसिंह (से.नि.कर्नल) के नाम बतौर खातेदार काश्तकार जमाबंदी व गिरदावरी में हो गई मगर विवादित भूमि साबिक खसरा नं. 22 मी. तादादी 38 बीघा हाल खसरा नं. 85 तादादी 33 बीघा 18 बिश्वा व खसरा नं. 96 तादादी 04 बीघा 02 विश्वा कुल तादादी 38 बीघा वाके रोही लाखाऊ धारा 13 आर.टी.एक्ट के अनुसार खातेदार हो गये परन्तु रेवेन्यू विभाग की गलती से विवादित भूमि को पहले कस्टोडियन में व अन्य आराजी राज में दर्ज कर दी गई जबकि विवादित भूमि भूतपूर्व बीकानेर स्टेट के काश्तकारी कानून व धारा 13 आर.टी. एक्ट के अनुसार प्रार्थी का पिता तथा अब प्रार्थी खातेदार–काश्तकार बन गया है। प्रार्थी अपने नाम विवादित कृषि भूमि की खातेदारी घोषित करवाकर दुरूस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है और रेवेन्यू रिकॉर्ड को सही करके प्रार्थी का नाम खातेदार की जगह अंकित किया जाना विधिनुसार उचित है।

4. प्रार्थी के पिता में जागीरदार के अधिकार निहित थे उसी समय से सन 1947 से पूर्व से प्रार्थी के पिता विवादित कृषि भूमि को बराबर काश्त करते आ रहे है व वर्तमान में प्रार्थी वादगत कृषि भूमि को बराबर काश्त करते आ रहे है व वर्तमान में प्रार्थी वादगत कृषि भूमि को काश्त कर रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी वादगत कृषि भूमि का खातेदार है। प्रार्थी को बेदखल नहीं किया जा सकता फिर भी राज्य सरकार अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने का नोटिस धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 का दिया गया है मगर प्रार्थी को कानूनन अधिकार पूर्णतया काबिज रहकर काश्त करने का अधिकार है इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध हुक्म इम्तनाई दवाम की डिग्री प्राप्त करनी आवश्यक हो गई है।

5. सन 1947 से पूर्व से काश्तकार भूतपूर्व जागीरदार प्रार्थी के पिता ने विवादित कृषि भूमि वापस लेकर खुद काश्त करने से व जमाबंदी व गिरदावरी में प्रार्थी के पिता का नाम बतौर काश्तकार दर्ज होने से अब प्रार्थी की काश्त चली आ रही है और लगान सालाना सरकार में जमा करता आ रहा है इन कारण परिस्थितियों में भी प्रार्थी इस विवादित कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार बनने का पूर्णतया अधिकारी है।

6. वादगत कृषि भूमि संवत 2010 से जमाबंदी, गिरदावरी में प्रार्थी के पिता मोहनसिंह के नाम से है तथा उक्त कृषि भूमि का भौतिक रूप से कब्जा भी प्रार्थी का चला आ रहा है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है और यदि प्रार्थी को बेदखल कर दिया जाता है तो उसे अपूर्तिय हानि होगी, जिसका मुद्रा में आंकलन किया जाना संभव नहीं है और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। इसलिए अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है कि वह प्रार्थी को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही कर वादगत कृषि भूमि पर उसके सुस्थापित कब्जे से बेदखल न करे न किसी अन्य से करावे।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादगत कृषि भूमि से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें ना ही उसके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:34 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कस्टोडियन विभाग की भूमि जो वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है उक्त भूमि पर नियमानुसार कार्यवाही कर स्थगन चाहा है जो स्वीकार नहीं है क्योंकि राजकीय भूमि पर अनाधिकृत अधिकार रखने पर निषेधाज्ञा राजहित में नहीं है। पत्रावली में सीधे बहस में नियत की गई।

8. प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादगत कृषि भूमि से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें ना ही उसके कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलादांजी करें। पैरोकार राज ने दौराने बहस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कस्टोडियन विभाग की भूमि जो वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है उक्त भूमि पर नियमानुसार कार्यवाही कर स्थगन चाहा है जो स्वीकार नहीं है क्योंकि राजकीय भूमि पर अनाधिकृत अधिकार रखने पर निषेधाज्ञा राजहित में नहीं है। अतः उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

9. आज यह वाद पत्रावली अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निर्णयार्थ प्रस्तुत हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में यह कथन किया गया कि प्रार्थी के पिता मोहनसिंह (से.नि. कर्नल) ग्राम लाखाऊ के भूतपूर्व जागीरदार थे तथा विवादित कृषि भूमि साबिक खसरा नं. 22 मी. रकबा 38 बीघा रोही मौजा लाखाऊ उनकी जागीर की भूमि थी। उक्त भूमि को पूर्व में करीमखां व रहीमखां पुत्रगण सतनखां कायमखानी निवासी लाखाऊ को काश्त हेतु दिया गया था। प्रार्थी का यह भी कथन है कि सन 1947 में भारत–पाकिस्तान विभाजन के समय उक्त काश्तकार पाकिस्तान चले गये तथा भूमि वापस प्रार्थी के पिता को दे दी। तब से प्रार्थी के पिता स्वयं उक्त भूमि को खुद काश्त करते रहे तथा बाद में प्रार्थी स्वयं उक्त भूमि को काश्त करता आ रहा है। जमाबंदी एवं गिरदावरी में भी प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज रहा है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि आर.टी. एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि पर प्रार्थी के पिता मोहनसिंह खातेदार काश्तकार बन गये थे, परन्तु राजस्व विभाग की त्रुटि के कारण उक्त भूमि को कस्टोडियन तथा बाद में राजकीय भूमि (सिवायचक) में दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी का यह भी कथन है कि वह उक्त भूमि पर काबिज है तथा राज्य सरकार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत बेदखली की कार्यवाही की जा रही है, जो कि विधि विरुद्ध है। अतः प्रार्थी ने खातेदारी घोषित किये जाने एवं अप्रार्थीगण को बेदखली से रोकने हेतु निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया कि विवादित भूमि कस्टोडियन विभाग की भूमि रही है तथा वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में सिवायचक राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कोई वैधानिक अधिकार नहीं है तथा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जाधारी को निषेधाज्ञा देना राजहित में उचित नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना उचित है। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में राजकीय भूमि (सिवायचक) के रूप में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत कथनों [illegible] दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रार्थी अथवा उस[illegible] विधि अनुसार उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। राजकीय भूमि पर अनाधिकृत [illegible] निषेधाज्ञा का लाभ नहीं दिया जा सकता। साथ ही खातेदारी अधिकार घोषित करने के लिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रतीत नहीं होते। अतः उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः

**आदेश है कि**

प्रार्थी अनूपसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्थगन आदेश का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पक्षकार अपने–अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 05.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:34 IST
Reason: SelfAttested